लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: *425
उत्तर देने की तारीखः 23.07.2019

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करना

***425. श्री प्रवीन कुमार निषादः**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दिल्ली-एनसीआर में अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्धारित किये गये मानदंड क्या हैं;
(ख) क्या केवल उन्हीं लोगों को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान/मानदंड है जिन्होंने दिल्ली में वर्ष 1993 से पूर्व रहना आरंभ कर दिया था
और उनके पास इसका प्रमाण भी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उन लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये कोई नीति बनाई है जो दिल्ली में वर्ष 1993 के पश्चात् बसे अथवा जन्मे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या दिल्ली में 1993 के पश्चात् जन्मे बच्चों अथवा उनके अभिभावकों ने रहना आरंभ कर दिया है, उनको अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु पात्र सुविधाओं का लाभ लेने का कोई अधिकार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ड.): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर दिल्ली सहित देश भर में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने तथा इनके सत्यापन हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) की सूचियां और ओबीसी की केन्द्रीय सूचियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) विशिष्ट होती हैं। किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में एससी/ओबीसी दर्जे के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति को उसके मामले में यथा लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना अथवा ओबीसी की केन्द्रीय सूची में जाति की अधिसूचना की तारीख पर उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अनुसूचित जातियों की सूची 20.09.1951 को अधिसूचित की गई थी जबकि दिल्ली राज्य में ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों की प्रथम सूची की अधिसूचना 24.05.1995 को जारी की गई थी, तत्पश्चात् विभिन्न अन्य अधिसूचनाएं जारी की गईं। राष्ट्रपति के संगत आदेश की अधिसूचना अथवा ओबीसी सूची में संगत अधिसूचना की तारीख के पश्चात् जन्मे व्यक्तियों के मामले में, एससी/ओबीसी का दर्जा प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु निवास का स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता-पिता का स्थायी निवास है। एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवास करने वाले एससी/ओबीसी के व्यक्तियों द्वारा प्रवास किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सामना की गई कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से इस राज्य में प्रवास किया है, को अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, पिता के मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर, जारी कर सकता है, सिवाए इसके कि निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत पूछताछ की जानी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि प्रश्नगत जाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह प्रवास किया है, के संबंध में अनुसूचित है अथवा नहीं(अथवा ओबीसी की सूची में शामिल हैं अथवा नहीं)। मौजूदा योजना के अंतर्गत, कोई एससी/ओबीसी अंतर्राज्यीय प्रवासी प्रवास के राज्य में एससी/ओबीसी लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं। तथापि, वह मूल राज्य तथा इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के एससी/ओबीसी लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

*****